कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अम्बेडकरनगर

पत्रांक 64 /14–9, दिनांक, अम्बेडकरनगर, जुलाई , 10 /2017

सेवा में,

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी–221010.

विषय:– जनपद अम्बेडकरनगर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी द्वारा फैजाबाद–अकबरपुर–आजमगढ़ मार्ग एस0एच0–30 के किमी0 180–181 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम अफजलपुर, परगना/तहसील–अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के गाटा संख्या–872 में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प के आउटलेट तक आने–जाने में प्रभावित 03 वृक्षों के पातन एवं 0.084708 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर–वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ:– विशेष सचिव, उ0प्र0शासन का पत्र संख्या पी–75/14–2–2017–800 (70)/2017 दिनांक 29–06–2017 एंव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 02/11–सी–एफ.पी./यू.पी./अदर्स/25642/2017 दिनांक 03–07–2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फैजाबाद–अकबरपुर–आजमगढ़ मार्ग एस0एच0–30 के किमी0 180–181 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम अफजलपुर, परगना/तहसील–अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के गाटा संख्या–872 में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प के आउटलेट तक आने–जाने में प्रभावित 03 वृक्षों के पातन एवं 0.084708 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर–वानिकी प्रयोग की कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दु संख्या–7 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से निम्न प्रकार आप द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है–

क0 सं0	धनराशि का मद	कुल क्षे0 हे0 में	दर प्रति हे0 रू0 में	कुल धनराशि रू0में	किसके पक्ष में धनराशि जमा किया जाना है	भुगतान का शहर
1	2	3	4	5	6	7
1	संरक्षति वन भूमि का नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0)	0.084708	626000/	53027.00	**आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा के खाता में कालम–5 में अंकित धनराशि जमा करें।**	नई दिल्ली
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि (100 पौध)	0.16	–	47260.00	**आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा के खाता में कालम–5 में अंकित धनराशि जमा करें।**	नई दिल्ली

यह मूल्य अंतरिम है। शासन द्वारा अन्तिम दरें तय किए जाने पर अतिरिक्त धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से देय होगी। संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित शेष अन्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या एवं उपरोक्त धनराशि जमा किए जाने की पावती रसीद सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक: संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

भवदीय,

(ए0के0 शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अम्बेडकरनगर

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) उ0प्र0, लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
3– वन संरक्षक, सरयू वृत्त, उ0प्र0, फैजाबाद।

(ए0के0 शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अम्बेडकरनगर